

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाण्ड

केस संख्या 67/12

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	8/12	<p>पत्रावली पेश हुई वमील जाफरी, निमल कुमार पं. उपा. अजायी बख्श रजिस्टर्ड पुन्ना टाजीर नहीं। अतः ऊँके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जानी है।</p> <p>मौला कमीशनर की रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। वमील जाफरी की बहल पुनने एवं मौला कमीशनर की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर हम पाते हैं अ.न. 2500 रुका 0.43 है व अ.न. 2474 रुका 0.25 सुनि पर RTI एक्ट 1987 की धारा 90 ब (आवासीय सुनि) हो जाने से जयपुर विनाल प्राधिकरण की ज़ातेदारी में दर्ज है जिल सुनिर वाहरी की गां. की जा रही है, वह सुनि कुछ उपयोग में नहीं करती है। अतः सुनि का उपयोग में नहीं करने व शास्ता दिना जना उचित नहीं है।</p> <p>अतः मौला कमीशनर की रिपोर्ट के आधार पर डा. पटवारे का खारिज निमा जाना है।</p> <p>शुक्रा देकर पत्रावली के तहत पुनने के फर्द को उपखण्ड अधिकारी चाण्ड, जयपुर (जयपुर)</p>